रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042026-271610
CG-DL-E-07042026-271610

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 7, 2026/ चैत्र 17, 1948
No. 234] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7, 2026/ CHAITRA 17, 1948

जल शक्ति मंत्रालय

(पेयजल एवं स्वच्छता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 254(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, लेखाकार, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में उसका स्तर या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति, –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **प्रारंभिक गठन -** अनुसूची में उल्लिखित पद धारण करने वाले व्यक्ति को इन नियमों के लागू होने की तारीख से नियमित आधार पर, इन नियमों के तहत पद पर नियुक्त किया गया माना जाएगा।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छुट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नही डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछ्ड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन अथवा अचयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
लेखाकार।	2* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर 6 (35400 रु. - 112400 रु.)।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(6)
तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण:** आयु-सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(7)
अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री। **टिप्पण:** अर्हताओं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **अनुभव:** सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय में रोकड़, लेखा और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण:** अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रारंभिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अवकाश या अन्य परिस्थितियों में अनुपस्थित रहने के कारण रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है: - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समान पद धारण किए हुए है; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 या समतुल्य पद में नियमित आधार पर छ: वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा (ख) स्तम्भ (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए यथाविहित अर्हता और अनुभव रखता हो।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।
(12)
विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. संयुक्त सचिव (स्थापना) – अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव (संबंधित प्रभाग) – सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव (स्थापना) – सदस्य; 4. निदेशक या उप सचिव (एकीकृत वित्त प्रभाग) – सदस्य।

भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12011/1/2022-स्थापना-डीडीडब्ल्यूएस]

कमल किशोर सोन, अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Drinking Water and Sanitation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2026

G.S.R. 254(E)— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accountant in the Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water and Sanitation, namely: -

1. Short title and Commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water and Sanitation, Accountant, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix. - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Initial Constitution. – The person holding the post mentioned in the Schedule, on regular basis, as on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to the post under these rules.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen, the other backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Accountant.	2* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 6 (Rs. 35400-Rs. 112400).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.
(6)
Not exceeding thirty years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). **Note. -** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the staff selection commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.
(7)
Qualification: Bachelor degree from a recognised university or institute.

Note. – Qualifications are relaxable at the discretion of the staff selection commission or the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Experience: Two years experience in cash, accounts and budget work in a government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body.

Note. – The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the staff selection commission or the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the staff selection commission or the competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. **Note. -** There shall be a mandatory induction training of atleast two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. **Note. -** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: - (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in posts in level 5 in the pay matrix or equivalent; and (b) possessing the qualifications and experiences prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
(12)
Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of: - 1. Joint Secretary (Establishment) – Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (Concerned Division) – Member; 3. Director or Deputy Secretary (Establishment) – Member; 4. Director or Deputy Secretary (Integrated Finance Division) – Member.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12011/1/2022-Admin-DDWS]

KAMAL KISHORE SOAN, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.04.07 16:09:19 +05'30'